किस्म मुकदमा –अन्तर्गत धारा 251(a) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण सं.456/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.04.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट पत्रांक / एफ-82/रीडक /2025/ 517 दिनांक 16.09.2025 से प्राप्त हुई। रिपोर्ट अनुसार ग्राम पांसल के आ.न.3781,3778/2 मे आने-जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी नं.3776 की उत्तरी मेड़ से 20 फीट रास्ता चाहा गया है। किन्तु अप्रार्थी खातेदारान की कृषि भूमि ग्राम पांसल के नामान्तरण सं.7377 दिनांक 06.02.2023 से नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विधि का अनुशीलन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) मे आबादी भूमि की परिभाषा व्याख्यायित है । आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि आबादी भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क) अनुसार आबादी भूमि से रास्ता दिया जाना प्रतिबन्धित है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थी द्वारा रास्ते के उपयोग मे चाही गयी भूमि धारा 5(24) मे वर्णित आबादी भूमि होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल सुमार हो नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा प्रार्थना पत्र खारिज	